

2



44

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के समक्ष

खजाना - 4809/2018/इंदौर/भू-श-

1. जाकिर पटेल पिता इशाक मोहम्मद
आयु - वयस्क, व्यवसाय - कृषि
निवासी - 684, खेडी मोहल्ला,
ग्राम खजराना, तहसील व जिला इन्दौर
2. नासिर पटेल पिता इशाक मोहम्मद
आयु - वयस्क, व्यवसाय - कृषि
निवासी - ग्राम जेतपुरा,
तहसील सांवेर जिला इन्दौर
3. मोहम्मद हुसैन पिता इशाक मोहम्मद
आयु - वयस्क, व्यवसाय - कृषि
निवासी - ग्राम जेतपुरा
तहसील सांवेर जिला इन्दौर

... प्रार्थीगण

विरुद्ध

1. श्रीमती बिसमिल्ला बी पति इशाक मोहम्मद
आयु - वयस्क, व्यवसाय - गृहकार्य
निवासी - पटेल मोहल्ला, खजराना, इन्दौर
2. मोहम्मद अफसर पटेल पिता इशाक मोहम्मद
आयु - वयस्क, व्यवसाय - कुछ नहीं
निवासी - पटेल मोहल्ला, खजराना, इन्दौर
3. रेहाना बी पति इशाक मोहम्मद
आयु - वयस्क, व्यवसाय - कुछ नहीं
निवासी - ग्राम हुसैन मुण्डला
तहसील सांवेर जिला इन्दौर

... प्रतिप्रार्थीगण

श्री ली.ओ. जोशी
अ.म.क.प. ग्वालियर
मु.क.म.ल. अ.क.ग.
42 अ.क.ग.
7/12/18



श्री ली.ओ. जोशी
अ.म.क.प. ग्वालियर
मु.क.म.ल. अ.क.ग.
42 अ.क.ग.
7/12/18

निगरानी अन्तर्गत धारा 50(ग) म.प्र. भू-राजस्व
संहिता संशोधन विधेयक 2018



माननीय तहसीलदार महोदय, इन्दौर द्वारा नामांतरण प्रकरण क्रमांक 12/अ-6(1)/17-18 में पारित आदेश दिनांक 02.08.2018 से व्यथित होकर प्रार्थीगण की ओर से सदर निगरानी याचिका सादर प्रस्तुत है।



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 4809/2018/इंदौर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-10-2018	<p>यह निगरानी तहसीलदार के अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संहिता के वर्ष 2018 में हुए संशोधन के फलस्वरूप अब इस प्रकरण में सुनवाई नयी संशोधित धारा 50 सहपठित धारा 54(a) के तहत कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः इस न्यायालय द्वारा स्थगन वृद्धि पर विचार का औचित्य न होने से आवेदन अमान्य किया जाता है।</p> <p>प्रकरण आगे सुनवाई हेतु कलेक्टर, जिला इंदौर को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष वहां पर दिनांक 03.12.2018 को उपस्थित हों।</p> <p> ASR</p>	<p> अध्यक्ष</p>